UPBJ010022012022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा** – UP06074

सेशन्स केस संख्या 273/2022

सरकार **बनाम** **राजीव लाम्बा आदि**

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **राजीव लाम्बा, कटार व संजीव कुमार** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हॅू–

1– यह कि दिनांक 02–09–2021 को समय 12–00 बजे वहद मंडावर दयाल अडडा थाना मंडावर, जनपद बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा नरेश कुमार को लात–घूसो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा नरेश कुमार को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा नरेश कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा नरेश कुमार को अपमानित करने के आशय से लात–घूसो से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)द** एस. सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2024.01.30 16:06:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा नरेश कुमार को लात–घूसो से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि भिन्न–भिन्न दिनॉक व समय पर आप **राजीव लाम्बा** ने वादी मुकदमा नरेश कुमार से अपनी आराजी के पटटे करने के नाम पर कुल 6,45,000/–रूपये जिनमें से कुछ रूपये नकद तथा 1,15,000/–रूपये अपने खाते में प्राप्त किए जिसे वादी द्वारा मॉगे जाने पर वापस न करके आपराधिक न्यास भंग किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **406** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि भिन्न–भिन्न दिनांक व समय पर थाना मंडावर, जनपद बिजनौर में आप **राजीव लाम्बा** ने वादी मुकदमा नरेश से धोखा–धडी करते हुए अपनी जमीन के पटटे करने के नाम पर कुल 6,45,000/–रूपये प्राप्त कर छल किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **420** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 30–01–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 30–01–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010022012022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 273/2022

सरकार बनाम राजीव लाम्बा आदि

<u>30–01–2024</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **राजीव लाम्बा, कटार सिहँ व संजीव कुमार** जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त **राजीव लाम्बा** के विरूद्व धारा 323,406,420,504,506 भा0द0स0 व धारा **3(1)द, 3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्तगण **कटार सिहँ व संजीव कुमार** के विरूद्व धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 30–01–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त **राजीव लाम्बा** के विरूद्व धारा 323, 406, 420, 504, 506 भा0द0स0 व धारा **3(1)द, 3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्तगण **कटार सिहँ व संजीव कुमार** के विरूद्व धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 05–03–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 30–01–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।